



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CIRCULAR

Circular No.: PFRDA/2026/42/REG-PF/08

Date: 04th Aug 2026

To:

All NPS Stakeholders

Subject: Same-Day Investment of NPS Contributions Received by Trustee Bank up to 1:30 PM

1. The National Pension System (NPS) has been designed as an efficient, transparent and technology-driven retirement savings framework. As part of the Pension Fund Regulatory and Development Authority's (PFRDA) continuous endeavour to enhance subscriber experience and improve operational efficiency, various digital and process enhancements have been undertaken across the NPS intermediary architecture to facilitate earlier investment of subscriber contributions.
2. In this regard, the cut-off time for receipt of NPS contributions by the Trustee Bank for consideration for same-day investment has been extended to **1:30 PM on a Business Settlement Day from the 11 AM cut-off earlier**. Accordingly, NPS contributions received by the Trustee Bank up to 1:30 PM on a Business Settlement Day, which are subsequently matched and booked successfully shall be considered for investment on the same day. Units in respect of such contributions shall be allotted based on the applicable closing Net Asset Value (NAV) of the day, in accordance with the extant regulatory framework.
3. The extended cut-off time shall be applicable to all categories of NPS contributions received by the Trustee Bank through various channels, including contributions received from **Government Nodal Offices, Points of Presence (PoPs), eNPS, D-Remit, BBPS, UPI, STAR NPS, Tatkal NPS**, and such other channels as may be operationalized from time to time.
4. All NPS subscribers and associated intermediaries, including **Points of Presence (PoPs), Corporates, Government Nodal Offices and Payment Gateway Service Providers (PGSP) facilitating contributions through eNPS**, are advised to plan and initiate fund transfers sufficiently in advance so as to ensure that the contributions are received by the Trustee Bank on or before **1:30 PM on a Business Settlement Day**. This would enable eligible contributions to be considered for same-day investment and thereby facilitating timely investment and ensuring that the benefit of the extended cut-off is passed on to the subscribers.
5. All concerned intermediaries are advised to suitably align their operational and technology processes with the revised cut-off time and ensure timely transmission and processing of NPS contributions to facilitate seamless implementation of the same-day investment framework.
6. This circular is issued in exercise of the powers conferred under **Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013**, and is available on the PFRDA website under the **Circulars** section of the regulatory framework.

Yours sincerely,

Chief General Manager



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

परिपत्र

परिपत्र सं.: PFRDA/2026/42/REG-PF/08

दिनांक : 04 अगस्त 2026

प्रति,

समस्त एनपीएस हितधारक

विषय : न्यासी बैंक को दोपहर 1:30 बजे तक प्राप्त एनपीएस अंशदानों के उसी दिन निवेश के संबंध में

1. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को एक कुशल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवानिवृत्ति बचत कार्यवाही के रूप में तैयार किया गया है। अभिदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने और परिचालन दक्षता में सुधार लाने हेतु पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, एनपीएस की मध्यवर्ती संरचना में अनेक डिजिटल एवं प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं, ताकि अभिदाताओं के अंशदानों का शीघ्रता से निवेश किया जा सके।
2. इस संबंध में, किसी **कारोबारी निपटान दिवस** में उसी दिन निवेश के लिए विचार किए जाने हेतु न्यासी बैंक में एनपीएस अंशदान प्राप्त होने की कट-ऑफ समय-सीमा **प्रातः 11 बजे से बढ़ाकर दोपहर 1:30 बजे** तक कर दी गई है। तदनुसार, किसी कारोबारी निपटान दिवस में दोपहर 1:30 बजे तक न्यासी बैंक को प्राप्त ऐसे सभी एनपीएस अंशदानों पर, जिनका मिलान और बुकिंग बाद में सफलतापूर्वक हो गई हो, उसी दिन निवेश के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे अंशदानों के संबंध में यूनिटों का आवंटन, प्रचलित विनियामक कार्यवाही के अनुसार, उस दिन के लागू अंतिम निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाएगा।
3. बढ़ाई गई यह कट-ऑफ समय-सीमा न्यासी बैंक में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली एनपीएस अंशदानों की सभी श्रेणियों पर लागू होगी, जिनमें **सरकारी नोडल कार्यालयों, उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी), ई-एनपीएस, डी-रेमिट, बीबीपीएस, यूपीआई, स्टार एनपीएस और तत्काल एनपीएस** से प्राप्त अंशदान, तथा समय-समय पर प्रचालित किए जाने वाले ऐसे अन्य माध्यम भी शामिल हैं।
4. सभी एनपीएस अभिदाताओं तथा संबंधित मध्यवर्ती संस्थाओं, जिनमें **उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), कॉर्पोरेट, सरकारी नोडल कार्यालय तथा ई-एनपीएस के माध्यम से अंशदान की सुविधा प्रदान करने वाले भुगतान गेटवे सेवा प्रदाता (पीजीएसपी)** शामिल हैं, को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पहले से ही धनराशि के अंतरण की योजना बनाएं और उसे आरंभ करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अंशदान न्यासी बैंक में **कारोबारी निपटान दिवस को दोपहर 1:30 बजे** या उससे पहले प्राप्त हो जाए। इससे पात्र अंशदानों के उसी दिन निवेश पर विचार किया जा सकेगा, जिससे समय पर निवेश संभव होगा और बढ़ाई गई कट-ऑफ समय-सीमा का लाभ अभिदाताओं तक पहुंच सकेगा।
5. सभी संबंधित मध्यवर्ती संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परिचालन एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रियाओं को संशोधित कट-ऑफ समय-सीमा के अनुरूप उपयुक्त रूप से ढालें तथा एनपीएस अंशदानों का समय पर प्रेषण और प्रसंस्करण सुनिश्चित करें, ताकि उसी दिन निवेश की व्यवस्था का सुचारु रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।
6. यह परिपत्र **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है और यह पीएफआरडीए की वेबसाइट पर विनियामक कार्यवाही के **परिपत्र** अनुभाग में उपलब्ध है।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक